


# फर्ट अहकॉम

( नियम 26 )

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

दुर्गा राम पुत्र - लिटारमालानी बनाम (1) लीला राम पुत्र आद्र राम वर्मा (2)  
 (3) जाति गील नि. उमोदाकाद जाति गील  
 जाति गील (3) गवलीस्वर गुडामालानी

किस्म मुकदमा राजस्व मुकदमा अधि. मुकदमा नम्बर 101 / 20

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/10/20	<p>प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री <u>डालू राम</u>                      ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा <u>88, 53, 188</u> राजस्थान                      काश्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज                      रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर                      पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>31.11.20</u> को पेश हो।</p>	
21/11/20	<p>पत्रावली पेश हुई।                      आज हम रीमर आवश्यक कार्यों                      में व्यस्त हैं। अतः इत्तबा होकर                      पत्रावली आइन्दा <u>4/11/21</u> को पेश हो।</p>	<p style="text-align: center;">L                      सहायक कलक्टर                      (S.D.O.) गुडामालानी</p>
04/04/21	<p>पत्रावली काज पेरा हुई। वकील वादीगण इपण                      जिवीवादीगण के सम्मन सभे डाक डाक जेफि कर                      रसीद पेश की गये। रसीदें ब्राउचिल पत्रावली की                      गये। जिवीवादीगण रुद्रस्थित। रताकर हो                      केइका पत्रावली रजिस्ट्र. 29/04/21 के पेरा हो।</p>	<p style="text-align: center;">L</p>
29/11/21	<p>पत्रावली पेश हुई।                      आज हम रीमर आवश्यक कार्यों                      में व्यस्त हैं। अतः इत्तबा होकर                      पत्रावली आइन्दा <u>22/2/21</u> को पेश हो।</p>	
22/2/21	<p>पत्रावली पेश हुई।                      आज पीठारीन अधिकारी महोदय                      बाहर हैं। अतः इत्तबा होकर                      पत्रावली आइन्दा <u>9/4/21</u> को पेश हो।</p>	

तारीख  
हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज

30/01/25

पञ्जावली आज पेश हुई। वकील वादी अनु  
वादीगण स्वयं अनुपस्थित। वादीगण के मय  
अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन घण्टे कोन-2  
आवाजे दिलाई गई। वाक्जुद आवाजे दिलाने  
के वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता  
के अनुपस्थित रहने से उक्त अनवाक्यकरण  
वादीगण की अदम हाजिरी अदम केरी में  
स्वारिज किया जाना है। कावली कैल्ल सुमार  
होकर दाखिल दफ्तर हो

